

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक					
					
@swatantraprabhatmedia	@swatantramedia	RNI.No. UHIN/2012/43078 (epaper.swatantraprabhat.com)	@SwatantraPrabhatonline	news@swatantraprabhat.com	
सीतापुर से प्रकाशित एवं अयोध्या, प्रयागराज, मिर्जापुर, गोरखपुर, बरेली, बुंदेलखंड, उत्तराखंड, देहरादून	सीतापुर, बुधवार, 21 जनवरी 2026	गाजियाबाद , दिल्ली , हरियाणा , चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदों में प्रसारित			
मलिहाबाद तेज रफतार पिकअप ने सवारी से भरे ई- रिव्शा में मारी टक्कर..03	वर्ष 14, अंक 273, पृष्ठ 04, मूल्य: 01 रुपया	डंपर खराब होने से लगा पांच किलोमीटर लंबा जाम..04			
www.swatantraprabhat.com					

तीसरे विश्व युद्ध के लिए भारत तैयार: हाई टेक हथियारों से लैस होना जरूरी, रक्षा बजट में क्या होगा खास?

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली। देश का 2026-27 का आम बजट ऐसे समय में आने जा रहा जब वर्तमान वैश्विक व्यवस्था वस्तुतः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे तीव्र अस्थिरता, अनिश्चितता ही नहीं बल्कि गंभीर सुरक्षा तथा सैन्य खतरों से रूबरू हो रही है। उथल-पुथल के ऐसे दौर में भारत जैसे उभरती वैश्विक ताकत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा केवल अपनी सीमाओं की सुरक्षा तक ही सीमित नहीं रह गई है।

वैश्विक अस्थिरता में भारत की बहुआयामी रक्षा चुनौतियां

पड़ोसी देशों के साथ जटिल संबंधों तथा लंबी समुद्री सीमाएं भारत की बढ़ती रक्षा जरूरतों को अपरिहार्य बना रही हैं। युद्ध के बदलते स्वरूप तथा तीव्र आधुनिक टेकनोलॉजी पर आधारित हथियारों-उपकरणों ने देश की रक्षा चुनौतियां को बहुआयामी बना दिया है। ऐसे में तात्कालिक रक्षा उपकरणों-हथियारों की खरीद तथा तकनीकी अपग्रेडेशन ही इन बहुआयामी चुनौतियों का समाधान नहीं है बल्कि आधुनिकीकरण के साथ सेनाओं को नए दौर के वारफेयर से लैस करना जरूरी हो गया है। पारंपरिक से हाइब्रिड युद्ध के खतरे अपरेशनल सिंदूर, अमेरिका का ईरान पर हमला या फिर रूस-यूक्रेन तथा गाजा में इजरायल-हमास के ताजा युद्धों ने साबित किया है कि अब निर्माणक जंग आकाश में ही लड़े जाएंगे।

चीन द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास, आधुनिक हथियारों की तैनाती और साइबर व

अंतरिक्ष वार फेयर क्षमताओं में निवेश तो दूसरी ओर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और छद्म युद्ध की रणनीति में अब ड्रोन-यूएवी तथा साइबर वार की चुनौतियां जटिलता बढ़ा रही हैं। हिंद महासागर समेत समुद्री क्षेत्र में चीन की बढ़ती नौसैनिक उपस्थिति, रणनीतिक बंदरगाहों में निवेश और समुद्री मार्गों पर आधिपत्य स्थापित करने की उसकी कोशिशें भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती के रूप में उभरी है।

सेनाओं को आधुनिक हथियारों और तकनीक से लैस करना अनिवार्य

ऐसे में साफ है कि सेना, नौसेना और वायुसेना को इन चुनौतियों के लिहाज से आधुनिक बनाए जाने की जरूरत है। आधुनिकीकरण और हथियारों का गैपभारत की सशस्त्र सेनाएं संख्या की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी सेनाओं में शामिल हैं, लेकिन आधुनिक युद्ध की आवश्यकताओं के संदर्भ में कई स्तरों पर क्षमताओं का अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। थल सेना को आधुनिक एयर डिफेंस, उन्नत टैंक और नेवक्वै आधारित युद्ध प्रणालियों की आवश्यकता है। वायुसेना लंबे समय से लड़ाकु विमानों के बेड़े में कमी से जूझ रही है।

इस दिशा में 114 नए राफेल लड़ाकू जेट खरीदने की प्रक्रिया अब आगे बढ़ती दिख रही है। नौसेना के लिए जरूरी युद्धपोतों-पनडुब्बियों के निर्माण की परियोजनाएं चल रही है मगर इन्हें गति देने की जरूरत है। आधुनिक युद्ध में साइबर स्पेस, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रानिक वार फेयर की भूमिका



लगातार बढ़ रही है। ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्वचालित हथियार प्रणालियां युद्ध की प्रकृति को बदल रही हैं।

ऐसे में इन क्षेत्रों में रक्षा बजट का पूंजीगत निवेश बढ़ाना जरूरी है ताकि भविष्य की चुनौतियों का सामना प्रभावी ढंग से किया जा सके। तीनों सेनाओं के बीच एकीकरण के लिए संयुक्त थिएटर कमांड बनाने की योजना को धरातल पर गति दिया जाना जरूरी है और अब इसे बजट तथा प्रशासनिक बाधाओं के दायरे से बाहर निकालना जरूरी है। रक्षा पर खर्च करने वालों में भारत दुनिया के पांच देशों में शामिल है मगर फिर भी चीन, अमेरिका और रूस की तुलना में यह बेहद कम है। वर्ष 2025-26 बजट में 6.81 लाख करोड़ रुपए रक्षा आवंटन था जो 2024-25 के मुकाबले करीब साढ़े नौ फीसद अधिक था मगर इसमें पूंजीगत आवंटन की हिस्सेदारी 1.81 लाख करोड़ रुपए ही थी।

पूंजीगत आवंटन के बारे में पूछे जाने पर सेना प्रमुख जनरल उमैद द्विवेदी ने पिछले हफ्ते ही कहा था कि रक्षा खरीद की प्राथमिकताओं में फंड का कोई अवरोध नहीं आएगा सरकार ने इस बारे में सेनाओं को

आश्वस्त किया है।

रक्षा आत्मनिर्भरता और थिएटर कमांड का एकीकरण महत्वपूर्ण

रक्षा आत्मनिर्भरता रक्षा विशेषज्ञ रिटायर हकीकत के बीच अंतर को पाटना होगा। रक्षा पूंजीगत आवंटन में बड़ी वृद्धि इसके लिए जरूरी है क्योंकि रक्षा बजट का बड़ा हिस्सा वेतन-पेंशन में जाता है। रक्षा बजट में बेशक हर वर्ष बढ़ोतरी होती है मगर यह सालाना मुद्रास्फीति के समायोजन के आस-पास ही रहती है और सैन्य आधुनिकीकरण को जिस गति से बढ़ाना है उसके लिए यह आवंटन पर्याप्त नहीं होते।' सेनाओं को आधुनिकीकरण की गति बढ़ाने पर जोर देते हुए मेजर जनरल परिहार कहते हैं, 'रूस-निकालना जरूरी है। रक्षा पर खर्च करने वालों में भारत दुनिया के पांच देशों में शामिल है मगर फिर भी चीन, अमेरिका और रूस की तुलना में यह बेहद कम है। वर्ष 2025-26 बजट में 6.81 लाख करोड़ रुपए रक्षा आवंटन था जो 2024-25 के मुकाबले करीब साढ़े नौ फीसद अधिक था मगर इसमें पूंजीगत आवंटन की हिस्सेदारी 1.81 लाख करोड़ रुपए ही थी।

पूंजीगत आवंटन के बारे में पूछे जाने पर सेना प्रमुख जनरल उमैद द्विवेदी ने पिछले हफ्ते ही कहा था कि रक्षा खरीद की प्राथमिकताओं में फंड का कोई अवरोध नहीं आएगा सरकार ने इस बारे में सेनाओं को

सेंट्रल फोर्स की तैनाती... बेलडांगा में हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने जताई चिंता, कहा- केंद्र करेगी NIA जांच का फैसला

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में हिंसा को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने चिंता जताई है. कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुजांजी पाल और जस्टिस पार्थसारथी सेन की डिवीजन बेंच ने बेलडांगा में सेंट्रल फोर्स की तैनाती का आदेश दिया है. D M, SP को भी हालात नॉर्मल रखने के लिए एक्शन लेने का निर्देश दिया गया है. मुर्शिदाबाद में पहले से ही फोर्स की 5 कंपनियां हैं. चीफ जस्टिस ने कहा कि उन फोर्स को जान और रोजी-रोटी की रक्षा और हालात से निपटने के लिए तैनात किया जाना चाहिए. अगर फोर्स कम हैं, तो कोर्ट की राज्य को सलाह है कि केंद्र और फोर्स की मंजूरी दे. वादी ने आरोप लगाया कि मुर्शिदाबाद में सेंट्रल फोर्स की मौजूदगी के बावजूद अशांति के दौरान उनका इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि बाद की में किया गया. कोर्ट ने अब राज्य C A P F के इस्तेमाल का आदेश दिया है. इस मामले में एक अहम मुद्दा NIA जांच की मांग थी।

केंद्र को NIA से जांच कराने की पूरी आजादी

वादी के मुताबिक, उन्होंने दावा किया कि देश की शांति खत्म करने के लिए विदेशों से पैसे भेजे जा रहे हैं या नहीं, इसकी जांच के लिए NIA जांच की जरूरत है. जज ने आदेश दिया है कि अगर केंद्र को NIA से जांच करवाना जरूरी लगता है, तो उन्हें पूरी आजादी होगी. कलकत्ता हाई कोर्ट में सोमवार, 19 जनवरी को दो जनहित याचिकाएं दायर की गईं, जिसमें बेलडांगा में



सेंट्रल फोर्स तैनात करने की मांग की गई. मंगलवार को वादी के वकील ने कोर्ट को बताया कि मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में विरोध के नाम पर कई प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया है. रेलवे की प्रॉपर्टी को नुकसान तैनात किया गया है. पत्रकारों को पीटा गया है. नेशनल हाईवे को ब्लॉक करके दंगा किया जा रहा है. उन्होंने कोर्ट का ध्यान इस ओर दिलाया और कहा कि पुलिस सुपरिटेण्डेंट ने भी माना है कि पूरा हंगामा पहले से प्लान था. हालांकि, उनका कहना है कि किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती।

सेंट्रल फोर्स का इस्तेमाल नहीं करने का आरोप

वादी ने पिछली घटनाओं का हवाला देते हुए कोर्ट को बताया कि पिछले साल जुलाई में भी ऐसी ही एक घटना में सेंट्रल फोर्स तैनात की गई थी. मुर्शिदाबाद में फोर्स हैं, लेकिन वादी का आरोप है कि हालांकि राज्य उनका इस्तेमाल नहीं कर रहा है. शमसेरगंज और धुलियान में फोर्स तो है, लेकिन बेलडांगा में उनका इस्तेमाल नहीं किया गया. शिकायत करने वाले का आरोप है कि बेलडांगा में पुलिस का इस्तेमाल नहीं किया गया. उनकी दलील की कि बेलडांगा में

वो स्पष्ट करें।

अजित और शिंदे पर भाजपा का दबाव- नाना

वहीं, AIMIM को लेकर नाना पटोले ने कहा कि कोई भगवे की बात करता है. कोई हरे रंग की बात करता है. हम तिरो की बात करते हैं तिरंगा हमारा सम्मान है. एकनाथ शिंदे को लेकर पटोले ने कहा कि दबाव की राजनीति शुरू है. होटल में नगरसेवक को रखा गया है तो भाजपा का दबाव होगा. एकनाथ शिंदे पर दबाव है. अजित पवार और एकनाथ शिंदे पर भाजपा का दबाव है।

‘शिंदे को डर था इसलिए पार्षदों को होटल में रखा’

नाना ने आगे कहा कि मंत्रालय की सभी

बरेली: ख़ाली घर को मदरसे में बदलने का आरोप, मकान मालकिन बोलीं- दी थी नमाज़ की इजाज़त

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली- उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के मोहम्मदगंज नामक छोटे-से गांव में उस वक्त विवाद खड़ा हो गया जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोग एक घर में नमाज़ अदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं. यह घटना 16 जनवरी की बताई जा रही है. रविवार (18 जनवरी) को वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने एहतियातन कार्रवाई करते हुए वीडियो में दिख रहे कम से कम 12 लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 170 के तहत मामला दर्ज किया. पुलिस हिरासत में लिए गए इन 12 लोगों की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एक छोटे से धार्मिक आয়োजन पर की गई कथित सख्त पुलिस कार्रवाई को लेकर आलोचना तेज़ हो गई. बाद में हिरासत में लिए गए लोगों को मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत दे दी गई. इस बीच यह अटकलें भी लगाई गई कि वीडियो में दिख रहे लोग कथित तौर पर किसी निजी संपत्ति पर नमाज़ अदा कर उसे कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे थे. हालांकि, जिस घर की छत पर नमाज़ अदा की गई, अब उसकी मालकिन ने सामने आकर इन आरोपों को खारिज किया है. उस संपत्ति की मालकिन रेशमा ने कहा है कि



उन्होंने स्थानीय लोगों को अपने घर में नमाज़ पढ़ने की अनुमति दी थी. उन्होंने कहा, 'यहां कोई दूसरी जगह नहीं है और यह घर खाली पड़ा था. आमतौर पर जिन परिवारों ने गांव छोड़ दिया है, उनके खाली घरों में लोग नमाज़ अदा कर लेते हैं. लेकिन अब मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है कि मैं अपने घर में नमाज़ न पढ़ने दूं.' रेशमा के पति नहीं हैं और उनके पांच बच्चे हैं।

तीस साल पुराना है विवाद

हालांकि, इस विवाद की पृष्ठभूमि करीब 30 साल पुराने घटनाक्रम से जुड़ी बताई जा रही है. मार्च 1995 में मोहम्मदगंज गांव के कुछ लोगों ने बरेली के पुलिस अधीक्षक (एसपी) से शिकायत की थी कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग ग्राम सभा की जमीन पर नमाज़ अदा करने की कोशिश कर रहे हैं. गांव के बुजुर्गों का अब कहना है कि उस समय विवाद को सुलझाने के लिए इस बात

कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी: कोर्ट ने मंत्री के खिलाफ़ केस शुरू करने की मंजूरी में देरी पर सवाल उठाया

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्य प्रदेश सरकार से कहा कि वह भाजपा नेता और राज्य मंत्री विजय शाह के खिलाफ अभियोजन की अनुमति देने पर दो हफ्ते के भीतर फैसला करे. मामला कर्नल सोफिया कुरैशी को कथित रूप से निशाना बनाने वाली उनकी टिप्पणियों से जुड़ा है. मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने बताया कि अदालत द्वारा मई में गठित विशेष जांच टीम (एसआईटी) अपनी रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है और अब राज्य सरकार से अभियोजन की मंजूरी का इंतज़ार किया जा रहा है. अदालत ने स्पष्ट किया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 के तहत, जो सांप्रदायिक घृणा और वैमनस्य फैलाने से जुड़े अपराधों से संबंधित है, किसी भी कार्रवाई के लिए राज्य सरकार की मंजूरी जरूरी है. यह मामला 13 मई को मध्य प्रदेश के महू में आयोजित एक कार्यक्रम में विजय शाह द्वारा दिए गए बयान से जुड़ा है. उस कार्यक्रम में शाह ने कहा था कि जिन्होंने 'भारत की बेटियों को 'किसी दूसरे किया', उन्हें भ्रामनमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'उनकी ही बिरादरी की बहन को भेजकर' सबक सिखाया है. उन्होंने यह टिप्पणी तुरंत दोहराई थी थी. हालांकि, शाह ने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन विपक्षी दलों का आरोप है कि यह बयान कर्नल सोफिया कुरैशी की ओर इशारा करता है. कर्नल कुरैशी 'ऑपरेशन सिंदूर' से जुड़ी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की प्रवक्ताओं में से एक रही हैं।

14 मई 2024 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने



इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि मंत्री की टिप्पणी 'किसी और की नहीं बल्कि' कर्नल कुरैशी की ओर ही संकेत करती है. इसके बाद शाह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया. उन पर भारत की संप्रभुता, एकता और संखंडता को खतरें में डालने, समुदायों के बीच सौहार्द बिगाड़ने और ऐसे बयान देने का आरोप है, जिससे सांप्रदायिक सद्भाव प्रभावित हो सकता है. इस कार्रवाई के बाद विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. इससे पहले 13 मई को उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए कहा था कि उनकी टिप्पणी को लेकर 'शर्मिदा और दुखी' हैं और कर्नल सोफिया कुरैशी की सराहना की. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई को उनकी माफी को स्वीकार करने से इनकार करते हुए मामले की जांच के लिए विशेष जांच टीम गठित कर दी थी. अदालत

करौली में सद्ग किंग अमीनुद्दीन खान के घर चला बुलडोजर, 3 मंजिला बिल्डिंग ध्वस्त, तैनात रहे 500 जवान

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

राजस्थान के करौली जिले में नव संवत्सर बाइक रैली के दौरान हुए पथव्यव व दंगे के मामले में पुलिस-प्रशासन ने अब कड़ा रुख अपनाया है. सद्ग किंग व दंगे के आरोपी अमीनुद्दीन खान की गिरफ्तारी के बाद पुलिस-प्रशासन उसके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया. 3 मंजिला बिल्डिंग को ध्वस्त करने की कार्रवाई मंगलवार सुबह 10:25 बजे से जारी है. इससे पहले नगर परिषद द्वारा संबंधित भवन का पट्टा और निर्माण स्वीकृति निरस्त की जा चुकी थी. कार्रवाई से पहले साफ कर दिया गया था कि कानून-व्यवस्था बिगाड़ने और नियमों की अन्देखी करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. करौली शहर के अनेकडर सक्रिय क्षेत्र में स्थित आरोपी एवं पूर्व नगर सभापति के बेटे अमीनुद्दीन खान के अवैध भवन को मंगलवार को प्रशासन ने ध्वस्त करना शुरू कर दिया. नगर परिषद करौली द्वारा कराई गई



स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें.....

9511151254

पर आपसी सहमति बनी थी कि भविष्य में गांव में न तो मंदिर बनाया जाएगा और न ही मस्जिद. ताज़ा मामले में रेशमा के घर की छत पर नमाज़ अदा करने के वीडियो को स्थानीय प्रशासन के साथ साझा किया गया. इसके साथ शिकायत भी दी गई, जिसमें दावा किया गया कि इस घर को मदरसे में तब्दील किया जा रहा है. पुलिस ने इसी शिकायत के आधार पर कार्रवाई की. गांव के रहने वाले तारिक खान बताते हैं, 'कुछ परिवार विदेश चले गए हैं. उनके घर खाली पड़े हैं. हम नमाज़ पढ़ने से पहले उनसे इजाज़त लेते हैं.' तारिक उन लोगों में शामिल थे, जो वीडियो में नमाज़ अदा करते नजर आ रहे थे. उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है. उधर, बरेली पुलिस का कहना है कि तहसील दिवस के दौरान उन्हें स्थानीय ग्रामीणों से शिकायत मिली थी, जिसके बाद शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियातन कार्रवाई की गई. बरेली की अपर पुलिस अधीक्षक अंशिका वर्मा ने कहा, 'उन्हें शांति बनाए रखने के लिए बंद किया गया था. सबसे प्राथिकारी की अनुमति के बिना उसे मदरसे में बदलने की कोशिश कर रहे थे. दूसरे समुदायों की ओर से इस पर आपत्ति जताई गई थी. इसी वजह से उन्हें थाने लाया गया और चालान किया गया।'

ने शाह की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उन्हें जांच में सहयोग करने का निर्देश भी दिया था. अगस्त में एसआईटी ने राज्य सरकार को मंत्री के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी देने का प्रस्ताव भेजा था. लेकिन अब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया।

सोमवार की सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश ने राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता श्रीधर पोत्तराजू से कहा, 'हम अब जनवरी 2026 में हैं.' इसके बयान में पोत्तराजू ने कहा कि मंजूरी में देरी की एक वजह यह हो सकती है कि शाह की एफआईआर रह करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. वहीं, विजय शाह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मनोहर सिंह ने अदालत को बताया कि मंत्री माफी मांग चुके हैं और जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं. इस पर जस्टिस कांत ने टिप्पणी की, 'आप जांच में सहयोग करते रहिए.' सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नोट किया कि एक तक रिकॉर्ड पर कोई औपचारिक माफी दाखिल नहीं की गई है. अदालत ने कहा, 'अब माफी देने में बहुत देर हो चुकी है.' पीठ ने यह भी याद दिलाया कि वह पहले ही इस तरह की माफियों पर अपनी राय जता चुकी है. 13 मई की पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने शाह की टिप्पणियों को 'अशोभनीय' और 'पूरी तरह से बिना सोचे-समझे दिया गया' बताया था और उनकी सार्वजनिक माफी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था. सोमवार को अदालत ने यह भी कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट में शाह द्वारा पहले भी दिए गए कुछ अन्य कथित आपत्तिजनक बयानों का जिक्र है. कोर्ट ने जांच टीम को निर्देश दिया है कि इन मामलों में प्रस्तावित कार्रवाई पर अलग से रिपोर्ट दाखिल करे जाए।



